न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या 07/18
(जीसीएमएस संख्या 2018/00344)

निर्णय दिनांकः–26.05.2023

1. पीरणदिता पुत्र निहाहखॉ जाति मुसलमान निवासी कायमवाला तहसील बज्जू जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, बज्जू।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 29–07–2009
उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर

उपस्थितिः–
1. श्री हनुमानगिरी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट् ने यह अपील उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के आदेश दिनांक 29–07–2009 जिसके द्वारा अपीलांट् की अपील की अपील को एकतरफा तौर पर खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट् को वर्ष 1977 में उपनिवेशन तहसील कोलायत नम्बर 2 क ग्राम कायमवाला के खसरा नम्बर 15 तीन में रकबा 50 बीघा भूमि का अस्थाई आवंटन किया गया था, तभी से उक्त भूमि पर अपीलांट् का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादग्रस्त भूमि का अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

वर्ष 1983 तक निरन्तर नवीनीकरण किया जाता रहा है। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट् को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा तौर पर अपीलांट् के टीसी आवंटन को खारिज कर दिया गया। उक्त खारिजी आदेश के विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर कतई गौर किये बिना की वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट् काबिज काश्त रहा है तथा अपीलांट् के टीसी आवंटन को खारिज करने से पूर्व सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान नहीं किया गया है, अपीलांट् की अपील को विधि विरूद्व तरीके से खारिज किया गया है।

प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि अपीलांट् के टीसी आवंटन को खारिज करने से पूर्व इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। इसप्रकार अदालत मातहत ने मात्र यह अंकित करते हुए कि अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। प्रार्थी बावजूद सूचना के सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये है। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्ष 1983 को जारी नोटिस के आधार पर अपीलांट् की अपील को विधि विरूद्व तरीके से खारिज किया गया है। वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट् आज दिनांक तक काबिज काश्त है तथा टीसी आवंटन से पुख्ता आवंटन का पात्र है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्व तरीके से पारित किया गया है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 29—07—2009 के विरूद्व अपील दिनांक 06—08—18 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट् की अपील विधि सम्मत् तरीके से खारित की गई है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 29—07—2009 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 06—08—2018 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, वादग्रस्त भूमि उपनिवेशन तहसील कोलायत नम्बर 2 के ग्राम कायमवाला के खसरा नम्बर 15 मीन में 50 बीघा भूमि का वर्ष 1977 में बतौर टीसी आवंटन किया गया तथा उक्त आवंटन का वर्ष 1983 तक निरन्तर नवीनीकरण किया जाता रहा है। तत्पश्चात् अपीलांट् के आवंटन का नवीनीकरण किये जाने बाबत् एक नोटिस अपीलांट को जारी किया गया, उक्त नोटिस के आधार पर अपीलांट् की अनुपस्थिति दर्ज करते हुए अपीलांट् के टीसी आवंटन को खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलाट् द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपीलांट् की अपील को पूर्व के नोटिस दिनांक 1983 को आधार बनाते हुए खारिज कर दिया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न पटवारी रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। उक्त रिपोर्ट में स्पष्ट

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

रूप से अभिलिखित किया गया है कि निहाल खॉ के नाम कायमवाला की रोही में 120 बीघा 15 बिस्वा रकबा गैर खातेदारी है तथा पीरणदीता के हिस्से में 30 बीघा 4 बिस्वा भूमि आती है। अतः पीरणदीता 15 बीघा 16 बिस्वा भूमि पाने का अधिकारी है तथा यह भी अभिलिखित किया गया है कि मौके पर कब्जा काश्त पीरणदीता व उसके परिवारजनों का है। इसप्रकार उक्त रिपोर्ट से साबित है कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट् का कब्जा काश्त है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि वे अपीलांट को वांछित सबूत प्रस्तुत करने का एक अवसर प्रदान करते। विधि का भी यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि किसी भी पक्षकार को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना कोई आदेश पारित किया जाता है तो ऐसा आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत पारित किये गये आदेश की श्रेणी में आता है। प्रस्तुत प्रकरण में भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रतिपादित सिद्वान्तों की अवहेलना करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। जो पुष्टि योग्य आदेश की श्रेणी में नहीं आता है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है व उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 29–07–2009 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत तरीके से निर्णय पारित करें।

8. निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 26/5/2023 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

26/5/2023

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर